

दूरसंचार विभाग  
(कैरियर सेवाएं स्कंध)

स0 18-2/2008-सीएस-I

दिनांक 5 अगस्त, 2008

विय:- अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी की संशोधित निबंधन और शर्तें।

अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी की मौजूदा निबंधन और शर्तों को आगे उदार बनाने का निश्चय किया गया है। अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी की संशोधित निबंधन और शर्तें अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

ओएसपी के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र को भी सरल कर दिया गया है। मौजूदा प्रपत्रों की जगह संशोधित आवेदन प्रपत्र भी प्रपत्र-I के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक: उपरोक्तानुसार, अनुबंध-I एवं प्रपत्र- I

(शभू प्रसाद सिंह)  
निदेशक (सीएस-I)

सेवा में,

उपमहानिदेशक (सी एण्ड ए)- अनुरोध है कि दूरसंचार विभाग की वेबसाइट [WWW DOT gov in](http://WWW.DOT.gov.in) पर मौजूदा निबंधन एवं शर्तों एवं आवेदन प्रपत्र के स्थान पर संशोधित निबंधन एवं शर्तें (अनुबंध-I) एवं संशोधित आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र- I) को दर्शाएं।

निबंधन और शर्तें - अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी

अध्याय-I : प्रारंभिक  
: परिभाषाएं

अध्याय-II : स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

1. सामान्य शर्तें
2. पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में परिशोधन
3. पंजीकरण के अंतरण पर प्रतिबंध
4. सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
5. पंजीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण अथवा परिसमापन
6. पंजीकरण के निरस्तीकरण के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां

अध्याय-III स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु तकनीकी शर्तें

1. ओएसपी प्रचालन के लिए निबंधन और शर्तें
2. ओएसपी केंद्र के आपदा प्रबंधन के लिए निबंधन और शर्तें
3. स्वदेशी ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तें
4. अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तें

अध्याय iv स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के बीच सामान्य अवसंरचना की साझेदारी के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

1. सामान्य शर्तें
2. अवसंरचना और बैंक गारंटी की साझेदारी के लिए पंजीकरण की अवधि
3. अवसंरचना की साझेदारी के लिए पंजीकरण का विस्तार
4. अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी अथवा स्वदेशी ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी के लिए तकनीकी निबंधन और शर्तें

(क) विकल्प:- I

एक ही प्रचालक पोजीशन की साझेदारी से अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केंद्रों के लिए प्रयुक्त होने वाला पृथक और स्वतंत्र ईपीएबीएक्स

(ख) विकल्प 2

तर्कसंगत भागों में बांटकर सामान्य ईपीएबीएक्स की साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केंद्र

अध्याय- v 5. घर से काम  
सुरक्षा शर्तें

1. निरीक्षण का अधिकार
2. ओएसपी द्वारा कतिपय गतिविधियों की रोक
3. सुरक्षा शर्तें

अध्याय-vi विविध

1. सामान्य
2. पंचाट

प्रारंभिक

1. परिभाषाएं इस भाग में, संदर्भ जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) 'अनुप्रयोग सेवाओं' का प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त दूरसंचार संसाधनों का प्रयोग करके टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कामर्स, कालसेंटर, नेटवर्क प्रचालन केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं जैसी सेवाएं प्रदान करने से हैं।
- (ख) 'अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) का तात्पर्य अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी से है।
- (ग) 'ओएसपी केंद्र' का अभिप्राय अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएसपी द्वारा प्रयुक्त भारत में किसी स्थान पर अवस्थित अवसंरचना से है।
- (घ) 'दूरसंचार संसाधन' का अभिप्राय ओएसपी द्वारा प्रयुक्त दूरसंचार सुविधाओं से है जिसमें भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन वैध लाइसेंस रखने वाले प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त बैंड विड्थ और पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन), पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन), इन्टीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) भी शामिल है परन्तु ये इन्ही तक सीमित नहीं हैं।
- (ङ) 'कंपनी' का अभिप्राय भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी से है जिसमें विदेश विनियम प्रबंधन विनियमन के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत विदेशी कंपनियों और भारत में किसी स्थान पर व्यवसाय संस्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग- xi (धारा 591 से 608 तक) के अधीन पंजीकृत विदेशी कंपनियों भी शामिल हैं।
- (च) 'स्वदेशी ओएसपी' का अभिप्राय राष्ट्रीय चौहद्दियों के भीतर अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाले ओएसपी से है।
- (छ) 'अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी' का अभिप्राय राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाले ओएसपी से है।
- (ज) 'पाइंट आफ प्रजेन्स (पीओपी) एक स्थान होता है जहां ओएसपी अनुप्रयोग सेवाओं से संबंधित दूरसंचार परियात के संकलन और संवहन के लिए ओएसपी केंद्र के विस्तार के रूप में कार्य करने के लिए उपस्कर रखता है।
- (झ) 'हाट साइट्स' का अभिप्राय दूरसंचार विभाग में विधिवत पंजीकृत या तो एक ही कंपनी के अथवा किसी तीसरी पार्टी के स्टैण्डबाई ओएसपी केंद्र से है जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है और वह किसी आपदा अथवा प्रचालन बाध हो जाने की स्थिति में कार्यरत ओएसपी केंद्र के प्रचालन को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहता है।
- (य) 'प्राधिकरण का अभिप्राय दूरसंचार विभाग अथवा इसका निर्दिष्ट क्षेत्रीय यूनितों (बीटीएस यूनितों) से हैं।

स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

**1. सामान्य शर्तें**

- (1) अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी कंपनी को पंजीकरण की मंजूरी दी जा सकती है। ये सेवा प्रदाता अन्य प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्विच्छ टेलीफोनी सेवा प्रदान नहीं करेंगे।
- (2) पंजीकरण चाहने वाले ओएसपी पर निम्नलिखित भी लागू हो:-
  - (I) ओएसपी पंजीकरण के लिए पात्र निकायों को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी होना अनिवार्य है।
  - (II) कंपनी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये प्रपत्र में पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन पत्र दे सकती है। (प्राधिकारियों की सूची आवेदन पत्र के प्रपत्र के साथ संलग्न है)।
  - (III) प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
    - (क) अनिवार्य दस्तावेज
      - (1) कंपनी के पंजीयक द्वारा जारी किया गया निगमन प्रमाण पत्र
      - (2) संगम अनुच्छेद और ज्ञापन
      - (3) बोर्ड का संकल्प अथवा सत्यापित हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने वाला पावर ऑफ अटॉर्नी
      - (4) प्रस्तावित ओएसपी के व्यवसाय और कार्यकलापों के स्वरूप पर टिप्पणी
    - (ख) यदि अनिवार्य दस्तावेजों से वास्तविक सूचना भिन्न है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
      5. कंपनी के वर्तमान निदेशकों की सूची
      6. इक्विटी ब्यौसें (विदेशी इक्विटी और भारतीय इक्विटी) को दर्शाते हुए कंपनी की वर्तमान शेयरधारिता का पैटर्न ।
- (iv) पंजीकरण स्थान विशेष का होता है जिससे कंपनी के पास एक से अधिक पंजीकरण हो सकते हैं। ओएसपी केंद्र के स्थान में परिवर्तन की स्थिति में मूल पंजीकरण में संशोधन करना अपेक्षित होगा।
- (v) बहु-पंजीकरण हेतु:-
  - (क) आवेदक कंपनी को वीटीएम/डॉट (मुख्यालय) के अपने उस नजदीकी यूनिट को आवेदन पत्र देना होगा जहां ओएसपी का एक साइट अवस्थित होना प्रस्तावित है।

- (ख) पहले स्थान के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ओएसपी साइटों के लिए अन्य संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारियों को आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसे मामलों में ओएसपी द्वारा पहले साइट के लिए प्राप्त ओएसपी पंजीकरण की केवल प्रतिलिपि और कंपनी के पंजीयक द्वारा जारी किये गये निगम के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है यदि इस प्रकार का अनुरोध ओएसपी द्वारा एक वर्ष के भीतर किया जाता है और पूर्ववर्ती प्रस्तुत दस्तावेजों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वर्ष के पश्चात दस्तावेजों का एक पूरा सेट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- (vi) यदि ओएसपी प्वाइंट आफ प्रजेन्स (पीओपी) में कोई परिवर्तन कराने अथवा कोई अन्य पीओपी और स्थापित कराने का प्रस्ताव देता है तो ओएसपी द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराना होगा।
- (vii) पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण के संबंधित लेखा अधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1000/- रुपये का प्रक्रमण शुल्क देय होता है।
- (viii) पंजीकरण की वैधता अवधि इसके जारी होने की तारीख से 20 वर्ष तक की होगी, जब तक कि पंजीकरण पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो।
- (ix) यदि उचित समझा जाए तो पंजीकरण की वैधता अवधि में विस्तार किया जा सकता है, यदि ओएसपी पारस्परिक सहमत शर्तों के आधार पर पंजीकरण वर्ष के 19 वें वर्ष के दौरान अनुरोध करना है तो उस पर पंजीकरण की अवधि एक ही बार 10 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अवधि विस्तार की मंजूरी के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- (x) जैसा कि पंजीकरण के समय प्रस्तुत प्रपत्र में बताया गया है, यदि कंपनी के नाम अथवा पते में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ओएसपी इसके समर्थन में दस्तावेज के साथ इसकी सूचना प्राधिकरण को देगी।

## 2. पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में आशोधन

पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में किसी भी समय आशोधन करने का अधिकारी प्राधिकरण के पास सुरक्षित है यदि प्राधिकरण के विचार में जनहित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा तार सेवा के समुचित संचालन के लिए ऐसा करना समीचीन हो, आवश्यक हो। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा।

## 3. पंजीकरण के अंतरण पर प्रतिबंध

ओएसपी जैसाकि नीचे वर्णित है, प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से चाहे जो भी हो, इस पंजीकरण का अंतरण अथवा सुपुर्दगी, किसी तीसरे पक्षकार को अथवा उप पट्टा के लिए कोई करार सम्पन्न नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्षकार के सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पंजीकरण के किसी भी विषय-वस्तु से संबंधित सहभागिता नहीं करेगा अर्थात् उप-पट्टा/सहभागिता/तीसरा पक्षकार का हित सृजित नहीं होगा। शर्त यह है कि ओएसपी सेवा प्रदान करने के लिए सर्वदा एजेंटों और कर्मचारियों के रोजगार पर रख सकता है अथवा नियुक्त कर सकता है।

## 4. सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता

- (i) ओएसपी समय-समय पर निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार सिस्टम पासवर्ड्स सहित अन्य सूचना अथवा लेखा, प्राक्कलन, विवरणी, रिपोर्ट जैसे दस्तावेज समयबद्ध कार्यक्रम और तरीके से मांग पर प्राधिकरण के उपलब्ध करायेगा।

- (11) ओएसपी पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष पूरा होने के छह माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसे चल रहे अपने ओएसपी प्रचालन की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यकलापों का ब्यौरा दर्शाना होगा। प्रचालनात्मक ओएसपी को सक्रिय ओएसपी सूची में रखा जाएगा। लगातार तीन वर्षों तक वार्षिक विवरण न प्रस्तुत करने वाले ओएसपी को निष्क्रिय सूची में रखा जाएगा और दो वर्षों तक निष्क्रिय सूची में रखने के प्रश्नात उनक पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी।

5. पंजीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण अथवा परिसमापन

- (1) प्राधिकरण के पास इस पंजीकरण के प्रचालन को किसी भी समय निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, प्राधिकरण के विचार में जनहित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा तार सेवा के समुचित संचालन में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ओएसपी के टिप्पणियां मांगने के लिए उसे नोटिस जारी करना प्राधिकरण के लिए आवश्यक नहीं होगा और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (II) शर्त यह है कि पूर्वोक्त कार्रवाई के कारण अथवा उससे हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए प्राधिकरण जिम्मेवार नहीं होगा। यह भी शर्त है कि पंजीकरण का निलंबन पंजीकरण की अवधि के विस्तार का कारण अथवा आधार नहीं होगा और निलंबन अवधि को बीती अवधि के रूप में माना जाएगा।
- (III) ओएसपी, प्राधिकरण को नोटिस देकर पंजीकरण को वापस कर सकता है।
- (iv) पंजीकरण शर्तों को पूरा करने की स्थिति भंग हो जाने की जानकारी प्राधिकरण को शिकायतों के माध्यम से अथवा नियमित निगरानी के फलस्वरूप आ सकती है। प्राधिकरण जब भी उपयुक्त समझे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओएसपी द्वारा पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के अनुपालन की स्थिति भंग हुई है, तो स्वतः अथवा शिकायत के आधार पर जांच करा सकता है और इस जांच के आधार पर ओएसपी सभी तर्कसंगत सुविधाओं का विस्तार करेगा और हर किस्म की रूकावटों को दूर करने का प्रयास करेगा।

6. पंजीकरण का निरस्तीकरण करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाइयां

- (i) यदि पंजीकरण करार के अधीन, कोई ऐसा ठोस कारण जाया जाता है जिससे प्राधिकरण को पंजीकरण करार को निरस्त करने के लिए प्राधिकरण को अधिकार मिलता हो तो प्राधिकरण करार में प्रदत्त निबंधन और शर्तों के अनुसार ही कार्रवाई करेगा।
- (ii) पंजीकरण के निरस्त होने अथवा वापस हो जाने अथवा वैध अवधि समाप्त हो जाने पर ओएसपी को बैंक गारंटी की राशि ओएसपी द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किये जाने वाले सभी देयताओं की बेबाकी सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही निर्मुक्त की जाएगी। प्राधिकरण को देय शक्तियों का भुगतान ओएसपी द्वारा न कर पाने के मामले में ओएसपी को कोई और सूचना दिए बिना प्राधिकरण को देय राशियों की वसूली के लिए कोई अन्य कार्रवाई/कार्रवाइयां करने के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के बकाया धनराशि बैंक गारंटी के नकदीकरण के माध्यम से वसूली जाएगी।

स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के पंजीकरण के लिए तकनीकी शर्तें

1. ओएसपी प्रचालन के लिए निबंधन और शर्तें

- (1) ओएसपी केवल प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता से ही दूरसंचार संसाधन लेगा।
- (2) प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता ओएसपी के संसाधनों की आपूर्ति ओएसपी द्वारा संस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नेटवर्क के नेटवर्क डायग्राम की जांच करने के पश्चात करेगा और ओएसपी उनके इस्तेमाल की तकनीकी सुनिश्चित करने के पश्चात दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा अनुमोदित नेटवर्क डायग्राम की प्रतिलिपि रिकार्ड और सत्यापन के लिए वीटीएम सेवा को प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता और ओएसपी दोनों ही दूरसंचार संसाधनों के प्रयोग में निबंधन और शर्तों के किसी उल्लंघन के प्रति क्रमशः अपने लाइसेंस/पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार जिम्मेवार होंगे।
- (4) ओएसपी प्राधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है।
- (5) ओएसपी को एक कंपनी अथवा कंपनियों के समूह के अन्य कार्यों के साथ दूरसंचार बैंडविड्थ की साझेदारी करने की अनुमति है। तथापि, ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि ओएसपी के लिए दूरसंचार संसाधनों और उनके अन्य कार्यकलापों के लिए दूरसंचार संसाधनों के बीच वैचारिक पृथक्कीकरण होगा। उनके बीच कोई भी वायस/नान-वायस परियात प्रवाह नहीं होगा।
- (6) स्वदेशी ओएसपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी की इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति नहीं है।

2. ओएसपी केंद्र के आपदा प्रबंधन के लिए निबंधन और शर्तें

- (1) स्वदेशी ओएसपी, प्राधिकरण को सम्पर्कता से संबंधित विस्तृत ब्योरा देते हुए आपदा के समय ही पंजीकृत 'हाट साइट' में प्रदत्त समर्पित सर्वरों को कनेक्ट करने की अनुमति है। यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के लिए अनुमत्य है। तथापि, स्वदेशी ओएसपी और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी की 'हॉट साइटों' के बीच किसी अंतरसंयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) एक ही कंपनी के स्वदेशी ओएसपी केंद्रों को आपदा के दौरान उपयोग किये जाने वाली सीटों की अनुमति है जिनके संबंध में उन्हें प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

(3) उपर्युक्त 2(2) के अनुसार इसी प्रकार की व्यवस्था करने हेतु उसी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच भी करने की अनुमति है।

## स्वदेशी ओएसपी के निबंधन एवं शर्तें

1. स्वदेशी ओएसपी को उसी ईपीएबीएक्स पर सुविधा सहित पीएसटीएन/पीएलएमएन कनेक्शन को समाप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि ऐसे पीएसटीएन/पीएलएमएन लाइसेंस का प्रयोग केवल सामान्य एनएलडी नेटवर्क के माध्यम से कॉल करने के लिए किया जाएगा और किसी भी दशा में राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक (एनएलडीओ) के क्षेत्राधिकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बाइपास नहीं करेगा। इन सुविधाओं के मध्य अलगाव सुनिश्चित करने के लिए तार्किक विभाज्य अवश्य होगा। उनके पास एक ही केन्द्र पर अन्य संयोजकता लीज सर्किल और अनुभव निजी नेटवर्क, हो सकती है, तथापि, इन पीएसटीएन लाइसेंस और लीज लाइसेंस के मध्य कोई कॉल प्रवाह नहीं होगी।
2. एक ही कंपनी और कंपनियों के समूह के दो या उससे अधिक स्वदेशी ओएसपी केन्द्र को मध्य अन्तर्संयोजन की अनुमति है।
3. स्वदेशी ओएसपी को केवल स्वदेशी लीडड पिरपथ को बैकअप करने के लिए समन्वित सेवाएं डिजिटल नेटवर्क संपर्क के प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।
4. प्राधिकारी को समय-समय पर लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। यदि प्राधिकारी को लगता है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है तो प्रतिभूति जमा को जब्त करने या पंजीकरण के रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।

## 4. अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

1. अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी को भारत में कोई भी पीएसटीएन कनेक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेश में इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल दोनों सुविधा से युक्त पीएसटीएन कनेक्टिविटी की अनुमति है।
2. एक ही कंपनी या कंपनियों के समूह के दो या दो से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी के अंतर संयोजन की अनुमति है और ऐसे अंतरसंयोजन के संबंध में 15 दिन की अवधि के भीतर पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाना है।

अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी और स्वदेशी ओएसपी के मध्य आधारभूत संरचना को आपस में बांटने के लिए ओएसपी पंजीकरण के लिए निबंधन एवं शर्तें

**1. सामान्य शर्तें :**

स्वदेशी ओएसपी और अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी द्वारा आधारभूत संरचना के हिस्सेदारी के लिए प्राधिकारी पूर्ण लिखित अनुमोदन अपेक्षित होगा। निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर ऐसे पंजीकरण प्रदान किए जाएंगे।

- (क) घरेलू ओएसपी केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र एक ही कंपनी से संबंधित होंगे।
- (ख) ओएसपी 50 सीटों वाली एक कॉल सेंटर स्थापित करेंगे।
- (ग) ओएसपी पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार के किसी के द्वारा उल्लंघन के लिए ओएसपी जिम्मेदार होगा परन्तु यह इनके कर्मचारियों तक सीमित रहेगा।
- (घ) प्राधिकारी के पास समय-समय पर लेखा परीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (ङ) यदि प्राधिकारी इस आशय से पूरी तरह संतुष्ट है कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो सुरक्षित जमा राशि/ओएसपी पंजीकरण के रद्द करने संबंधी सहित दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। और कंपनी को इस प्रकार पंजीकरण के रद्द होने की तारीख से 3 साल के लिए ओएसपी पंजीकरण लेने से रोक दिया जाएगा।

**2. आधारभूत संरचना और बैंक गारंटी की साझेदारी के लिए पंजीकरण की अवधि**

- (क) यह पंजीकरण की प्रभावी तिथि से 3 साल की अवधि के लिए तब तक वैध रहेगा जब तक दस्तावेज में कहीं भी उल्लेख कारणों की वजह से इसे रद्द न कर दिया गया है।
- (ख) कंपनी इस अध्याय के 4(क) के शर्त के तहत विकल्प 1 के लिए 50 लाख ₹0 विनिर्दिष्ट प्रपत्र में बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षित जमा राशि जमा करेगी या ऐसे पंजीकरण की अवधि के लिए प्राधिकारी के पक्ष में इस अध्याय के शर्त 4(ख) के तहत विकल्प 2 के लिए 1 करोड़ ₹0 जमा करेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी।
- (ग) पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों को पालन करने में हुई किसी प्रकार की विफलता की स्थिति में प्राधिकारी बैंक गारंटी को नकदीकरण करने का हकदार होगा। ओएसपी को बिना किसी हवाले दिए उसके खतरे और कीमत पर नगद सुरक्षा में बदलने का हकदार होगा। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार के नगदीकरण किए जाने पर कोई ब्याज या सहायता राशि जो भी हो देय नहीं होगा।
- (घ) ओएसपी द्वारा पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन की दशा में बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों के उपचार हेतु, प्राधिकारी बैंक गारंटी के नकद और सिक्योरिटी जमा को जब्त कर सकते हैं।

**3. अवसंरचना की हिस्सेदारी करने के लिए पंजीकरण का विस्तार**

- (क) इस सुविधा के लिए पंजीकरण 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह अवधि समाप्त होने के पश्चात् इसे आगे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ख) पंजीकरण की अवधि का विस्तार 3 वर्ष से अधिक करने के लिए, ओएसपी इस अवधि में विस्तार सहित अवधि समाप्त होने के 60 दिन पूर्व बैंक गारंटी की विस्तारित वैधता अवधि के लिए अनुरोध करेगा, ऐसा नहीं किए जाने पर पंजीकरण बिना नोटिस के ही व्यपगत हो जाएगा।

(ग) प्राधिकारी का निर्णय अवधि के विस्तार की मंजूरी हेतु अंतिम होगा।

4. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी हेतु तकनीकी शर्तें

(क) विकल्प-1

(एक ही प्रचालक की स्थिति की साझेदारी वाले अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू ओएसपी केंद्रों के लिए पृथक एवं स्वतंत्र ईपीएबीएक्स का उपयोग किया जाना)

1. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी की अंतर्संपर्कता की अनुमति नहीं है।
2. घरेलू ओएसपी केंद्र एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र का गैर-साझाकृत पृथक एवं स्वतंत्र ईपीएबीएक्स होगा, लेकिन उनकी साझा प्रचालक स्थिति हो सकती है।
3. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय में सिर्फ एक ही कॉल को प्रचालक तक भेजा जा सकता है, चाहे यह घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल हो।
4. घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच किसी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा तथा/यह इससे प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का बाईपास नहीं होगा।
5. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम लॉग हस्तक्षेप-सह है तथा सिस्टम लॉग को कम-से-कम छः महीनों के लिए संरक्षित किया जाता है। प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन सिस्टम लॉग का मांग कर सके तथा साइट पर उनकी निरीक्षण कर सके।

(ख) विकल्प-2

(अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू ओएसपी केंद्रों के द्वारा तार्किक विभाजन वाले साझा ईपीएबीएक्स का साझेदारी करना)

1. घरेलू ओएसपी के साथ अंतरराष्ट्रीय ओएसपी की अंतर्संपर्कता की अनुमति नहीं है।

2. कंपनी उपस्कर विक्रेताओं से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि सॉफ्टवेयर घरेलू ओएसपी एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के लिए दो पृथक एवं स्वतंत्र परिवेशों में साझा अवसंरचना का तार्किक विभाजन करने के लिए सक्षम है।
3. कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों की गतिविधियों के बीच पूर्ण तार्किक पृथक्करण को सुनिश्चित करेगी। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के बीच किसी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा तथा/या इससे प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का बाइपास नहीं होगा।
4. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम लॉग हस्तक्षेप-सह है तथा सिस्टम लॉग को कम-से-कम छः महीनों के लिए संरक्षित किया जाता है। प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन सिस्टम लॉग की मांग कर सके तथा साइट पर इनकी निरीक्षण कर सके।
5. **घर से कार्य करना**

विस्तारित एजेंट अवस्थिति (घर से कार्य करना) की अवधारणा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन दी जा सकती है:-

- (I) ओएसपी प्रचालक करार के साथ 5 करोड़ रु. की प्रतिभूति जमा करेगा, जिसमें यह परिकल्पित होगा कि गृह एजेंट के अनन्य उपयोग, ओएसपी द्वारा धारित सभी उत्तरदायित्व इत्यादि जैसे कतिपय दायित्वों को पूरा किया जाए।
- (II) गृह पर एजेंट को कॉल एजेंट की विस्तारित एजेंट अवस्थिति के रूप में समझा जाएगा तथा अंतर्संपर्कता की अनुमति प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं व्यवस्थित(सुरक्षित) वीजीएन के माध्यम से होगी, जिसकी पूर्व-निर्धारित अवस्थितियां जैसे एजेंटों का गृह एवं ओएसपी केंद्र जैसी वीपीएन साइटें होंगी। पीपीपीएन के अतिरिक्त, ओएसपी अपनी स्वयं की सुरक्षा तंत्र जैसे प्रमाणीकरण, प्राधिकरण एवं लेखाकरण का उपयोग कर सकता है। गृह सुविधा से ऐसा कार्य ओएसपी केंद्र के एसएसए एवं समीपवर्ती एसएसए तक सीमित होगा।
- (III) प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे प्रतिष्ठानों के आवधिक/औचक निरीक्षण कराएं।

1. निरीक्षण का अधिकार

- (i) प्राधिकारी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त स्थलों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और विशेष रूप से किन्तु जो इस तक ही सीमित नहीं होंगे, लीड लाइनों जक्शनों, समापन इंटरफेसों हाईवेयर/साफ्टवेयर, सेमीकंडक्टरों की मेमोरी चुबम्कीय और ऑप्टिकल किरमों वायर्ड या बेतार विकल्पों, वितरण ढांचों तक अभिगम करने और इनपुट/आउटपुट यन्त्रों/टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ सम्पर्क स्थापित करने सहित निष्पादन संबंधी परीक्षण संचालित करने का अधिकार होगा। ओएसपी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जैसाकि प्राधिकारी या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा मांग की जाए। सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण किया जाएगा नोटिस उन स्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिससे निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।
- (ii) यह पता लगाने के लिए कि ओएसपी ने पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, प्राधिकारी जब भी उपयुक्त समझे स्वैच्छा से या शिकायत प्राप्त होने पर कोई भी जांच कर सकता है और ओएसपी ऐसी जांच में बिना किसी व्यवधान के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

2. ओएसपी को कतिपय कार्यकल्पों के लिए निषेध करना :

- (i) ओएसपी इस पंजीकरण के बल पर ऐसी अन्य कोई सेवा प्रदान करने का कार्य नहीं करेगा जिनके लिए पृथक लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता है।
- (ii) ओएसपी देश के स्थापित कानूनों के अनुरूप नेटवर्क पर किसी भी रूप से आपत्तिजनक, अश्लील अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय वस्तु संदेश या संचार जो कॉपीराइट या बैद्धिक सम्पदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा जैसे ही प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघनों के विशिष्ट दृष्टांतों की सूचना दी जाती है, ओएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेटवर्क पर ऐसी सामग्री का संबन्धन तत्काल रोका जाए।

### 3. सुरक्षा संबंधी शर्तें

- (i) ओएसपी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर तकनीकी छानबीन और निरीक्षण के लिए अपने उपकरणों पर पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा जो दृश्य निरीक्षण या प्रचालन निरीक्षण हो सकता है।
- (ii) ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी उपस्कर संस्थापनाएं सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है और किसी संविधि नियम या विनियम और लोक नीति के विरुद्ध नहीं है।
- (iii) ओएसपी को सुरक्षा एंजेंसियों द्वारा जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, विशिष्ट अवधि में प्रणाली द्वारा निपटाई गई सभी विशिष्ट कॉलों का कॉल डाटा रिकार्ड उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

## अध्याय - VI

### विविध

#### 1. सामान्य

- (1) ओएसपी उन सभी शर्तों का अनुपालन करेगा जो प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाई जाएंगी।
- (2) ओएसपी किसी के द्वारा उपर्युक्त नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और यह इसके कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होगा। ओएसपी दी गई सूचना की सटीकता के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (3) प्राधिकारी को पंजीकरण के रद्दकरण सहित किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए समुचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

#### 2. विवाचन

- (1) इस पंजीकरण के तहत अथवा इसके संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद, उस मामले को छोड़कर जिसके निर्णय का इस पंजीकरण के तहत अन्यत्र विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, उत्पन्न हो जाने की स्थिति में उसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त और नामित एकमात्र माध्यस्थम को भेजा जाएगा और जिसे इसके बाद “माध्यस्थम अधिकारण” कहा जाएगा जो उपर्युक्त विवाद को समाधान के लिए सुविवेचित निर्णय देगा।
- (2) माध्यस्थम की कार्रवाई का स्थान नई दिल्ली होगा या माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित भारत में कोई भी स्थान हो सकता है।
- (3) भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के उपबंधों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों या समय-समय पर इसमें किए गए किसी प्रकार के संशोधनों अथवा पुनः अधिनियम के अनुसार माध्यस्थम की कार्रवाई की जाएगी।

## ओएसपी केन्द्र के पंजीकरण हेतु आवेदन

## क0 आवेदक का संक्षिप्त विवरण

1 आवेदक कंपनी का नाम		
2.पंजीकृत कार्यालय का पता		
टेलीफोन :		
फैक्स :		
ई-मेल		
		वेबसाइट
3. निगमित कार्यालय का पता		
टेलीफोन :		
फैक्स :		
ई-मेल		वेबसाइट
4 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम :		
पत्रचार के लिए पूरा पता :		
टेलीफोन नं. :		
फैक्स		
ई-मेल		
कंपनी/समूह कंपनी का वर्तमान कार्यकलाप		



5. क्या प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र की डाटा कनेक्टिविटी ग्राहक के किसी अन्य डाटा केन्द्र तक होगी । यदि हाँ, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा, पता इत्यादि बताएं (सभी बैंड विड्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

	प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा (भारतीय छोर का पता) उपर्युक्त ख1 के अनुसार	ग्राहक की डाटा केन्द्र की अवधि का पता जहां अपेक्षित है	मैजूदा बैंडविड्य यदि कोई हो	अनुरोध की गई नई बैंडविड्य कनेक्टिविटी/अतिरिक्त कनेक्टिविटी	कुल बैंडविड्य प्राधिकृत सेवा प्राप्त
	छोर क		एक्स	वाई	एक्स वाई
6 पीएसटीएन कनेक्टिविटी का ब्यौरा (केवल घरेलू ओएसपी हेतु)					
घरेलू कॉल सेंटर पर प्रस्तावित पीएसटीएन/पीएलएमएन लाइनों की सं०					
क्या इन पीएसटीएन लाइनों पर केवल इनकमिंग सुविधा होगी ?				हां	नहीं

7 क्या प्रस्तावित केन्द्र किसी अन्य कंपनी/समूह कंपनी के ओएसपी केन्द्र से अतर्संयोजित होगी ? यदि हां, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा, पता इत्यादि बताएं । (सभी बैंड विड्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा	कंपनी/समूह कंपनी के अन्य ओएसपी केन्द्र को अनुरोध की गई कनेक्टिविटी (स्थान का पता और पंजीकरण संख्या)	मैजूदा बैंडविड्य यदि कोई हो	अनुरोध की गई नई बैंडविड्य कनेक्टिविटी/अतिरिक्त कनेक्टिविटी	कुल बैंडविड्य प्राधिकृत सेवा प्राप्त
छोर क		एक्स	वाई	एक्स वाई

8 क्या प्रस्तावित केन्द्र कंपनी/तीसरे पक्ष के किसी हॉट साइट केन्द्र से अतर्संयोजित होगी ? यदि हां, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा, पते इत्यादि बताएं।

छोर का पता संबंधी ब्यौरा	छोर ख पता संबंधी ब्यौरा	मौजूदा बैंडविड्य	नई बैंड विड्य	कुल बैंड विड्य

9 क्या प्रस्तावित केन्द्र के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी ? यदि हां, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा दें।

नोट : कंपनी केवल प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही इंटरनेट कनेक्शन लेगी तथा यह आइएलपी अथवा प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा दी गई अनुमति की सीमा तक ही इंटरनेट टेलीफोन का उपयोग करेगी जैसा कि वेवसाइट अर्थात **WWW DOT gov in** पर उपलब्ध “ इंटरनेट सहित टेलीफोन” के लाइसेंस करार के खंड 1.14 में उल्लेख किया गया है।

(सभी बैंडविड्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा	इंटरनेट सेवा प्रदान का ब्यौरा	मैजूदा बैंडविड्य यदि कोई हो	अनुरोध की गई नई बैंडविड्य कनेक्टिविटी/अतिरिक्त कनेक्टिविटी	कुल बैंडविड्य प्राधिकृत सेवा प्राप्त
छोर क		एक्स	वाई	एक्स वाई

<p>8. क्या यह केन्द्र समान स्थल पर समान कंपनी के अन्य केन्द्रों के साथ समान अवसंरचना की साझेदारी करेगा?</p>	<p>हां/नहीं (यदि हां, तो आवेदन का भाग 'ग' विहित पत्र में भरा जाना है। यदि नहीं तो, कृपया घोषणा करे कि समान स्थल पर स्थित अंतरराष्ट्रीय/घरेलु कॉल केन्द्र, यदि कोई हो समान अवसंरचना की साझेदारी नहीं करेगा तथा उनमें कोई अतर्संयोजन नहीं होगा )</p>
<p>प्रक्रिया शुल्क का ब्यौरा (संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी अनुबंध के अनुसार के लेखाधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट)</p>	<p>1000/रु० प्रति ओएसपी केन्द्र पंजीकरण</p>
<p>संख्या और तारीख</p>	
<p>राशि</p>	
<p>बैंक का नाम जिससे आहरण किया गया</p>	

ग. साझेदारी :

(घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्रों हेतु जिनके अवसंरचना की साझेदारी की जानी है)

ग 1 घरेलू ओएसपी केन्द्र का ब्यौरा जिसके अवसंरचना की साझेदारी की जानी है

घरेलू ओएसपी केन्द्र के स्थान का पता	
(ii) पंजीकरण के लिए आवेदन किया है/पहले से पंजीकृत हैं	आवेदन की तारीख : अथवा घरेलू कॉल सेन्टर की पंजीकरण संख्या:
(iii) सीटों की संख्या	साझा गैर-साझा
(iv) ग्राहक का नाम और पता	

ग 2 अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र का ब्यौरा जिसके अवसंरचना की साझेदारी की जानी है

घरेलू ओएसपी केन्द्र के स्थान का पता	
(ii) पंजीकरण के लिए आवेदन किया है/पहले से पंजीकृत हैं	आवेदन की तारीख : अथवा घरेलू कॉल सेन्टर की पंजीकरण संख्या:
(iii) सीटों की संख्या	साझा गैर-साझा
(iv) ग्राहक का नाम और पता	

ग.3. समान अवसंरचना की साझेदारी के लिए ओएसपी का विकल्प

कृपया समान अवसंरचना की साझेदारी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें :

(क) विकल्प-1	समान प्रचालक स्थल की साझेदारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ओएसपी केन्द्रों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पृथक और स्वतंत्र ईपी एवी स्थल (50/ लाख रु० की बैंक गारंटी/ओएसपी केन्द्र के अध्यक्षीन)
(ख) विकल्प-2	उपर्युक्त विभाजन सहित समान ईपीएबी एक्स की साझेदारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ओ एसपी केन्द्र (1 करोड़ रु० बैंक गारंटी/ओएसपी केन्द्र के अध्यक्षीन)

चुने गए विकल्प को चिह्नित करें :

विकल्प 1 :

विकल्प 2 :

ग 4. विकल्प 2 के मामले में साझा किए जाने वाले प्रस्तावित ईपीएबी एक्स का ब्यौरा

ईपीएबी एक्स का ब्यौरा	
विक्रेता का नाम	
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर के बीच पोर्टों के युक्ति युक्त विभाजन का संरूपण	

ग-5 विस्तारित एजेंट स्थिति का ब्यौरा (वर्क फार्म होम)

एजेंट स्थितियों की कुल संख्या	
विस्तारित किए जाने वाले एजेंट स्थिति की संख्या	
कनेक्टिविटी का प्रकार और सेवा प्रदाता का नाम	

टिप्पणी :

- 5 करोड़ ₹ की बैंक गारंटी के अध्यक्षीन विस्तारित एजेंट स्थिति की अनुमति दी जाती है।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन का कोई कॉलम खाली न छोड़े यदि हो तो लागू नहीं होता अथवा शून्य का उल्लेख करें।
- समुचित कॉलम में हों या नहीं चिह्नित करें।
- अपूर्ण/अस्पष्ट प्रस्ताव वाले आवेदनों को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

प्र... संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. नाम पदनाम और मुहर सहित कंपनी सचिव/सांविधिक लेखा परीक्षक/किसी एक निदेशक/पब्लिक नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

कृपया हाँ या नहीं चिह्नित करें

(क) अनिवार्य दस्तावेज		
संक्रम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम	हाँ	नहीं
कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया निगमीकरण प्रमाण पत्र	हाँ	नहीं
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया प्राधिकार :	हाँ	नहीं
(क) निदेशक मंडल का संकल्प अथवा		
(ख) अनुप्रमाणित हस्ताक्षर सहित हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने वाली विधिवत नोटोराइज्ड मुख्तारनामा	हाँ	नहीं
ख वैकल्पिक दस्तावेज (यदि यह (क) से भिन्न है तो इसे प्रस्तुत किया जाना है)		
नाम और पते सहित कंपनी के वर्तमान निदेशकों की सूची	हाँ	नहीं
कंपनी की वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न (भारतीय इक्विटी और विदेशी इक्विटी का उल्लेख करते हुए)	हाँ	नहीं
(ग) अवसंरचना की साझेदारी/वर्क फॉर्म होम के लिए अपेक्षित दस्तावेज		
मद ग 3 के विकल्प 2 के मामले में साझा किए जा रहे ईपीएबी एक्स में तर्कपूर्ण विभाजन के लिए विक्रेता प्रमाण पत्र	हाँ	नहीं
यह वचन पत्र कि करार पर हस्ताक्षर करते समय विहित आरूप में 50 लाख ₹ की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी जाएगी (मद ग 3 के विकल्प के मामले में)	हाँ	नहीं
यह वचन पत्र कि करार पर हस्ताक्षर करते समय विहित आरूप में एक करोड़ ₹ की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी जाएगी (मद ग 3 के विकल्प-2 के मामले में)	हाँ	नहीं
यह वचन पत्र कि करार पर हस्ताक्षर करते समय विहित आरूप में 5 करोड़ ₹ की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी जाएगी (मद घ के अनुसार वर्क फॉर्म होम के विकल्प के मामले में)	हाँ	नहीं
(घ) प्रक्रिया शुल्क (प्रत्येक ओएसपी केन्द्र के लिए 1000/-₹ का डिमांड ड्राफ्ट)	हाँ	नहीं

## ड. घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ। करते हैं कि मैंने/हमने अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु दिशानिर्देशों/निबंधन और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं/हम इसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
2. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह आवेदन किसी भी संबंध में अपूर्ण पाया जाता है और/या सशर्त अनुपालना का पता चलता है तो इस आवेदन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
3. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय है और इसके लिए प्रस्ताव के पंजीकृत होने या न होने को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
4. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यदि पंजीकरण कराने के लिए इसमें दिया गया कोई प्रमाण या किसी सूचना को किसी भी समय गलत पाया जाता है तो मेरे आवेदन और पंजीकरण यदि ऐसे आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया हो, को निरस्त मान लिया जाएगा।

तारीख

स्थान

कंपनी की मुहर सहित  
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पणी :- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों को प्रस्तुत किए जाएं जिनके क्षेत्र के अंतर्गत ओएसपी केन्द्र आते हैं (ब्यौरा अनुबंध के अनुसार)

पदनामित प्राधिकारी ..... के प्रमुख उपमहानिदेशक (टीईआरएम सेल का नाम)				सीसीए के कार्यालय में सीएओ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित हो
क्र०सं	टीईआरएम सेल	पता	सर्किल/क्षेत्राधिकार	सीसीए
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	अहमदाबाद	प्रथम तल पी एंड टी प्रशासनिक बिल्डिंग, खानपुर, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	अंडमान और निकोबार	डीटीओ बिल्डिंग, प्रथम तल, बंगाली क्लब रोड, प्रथम डाक घर के पास, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार-744101	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार
3.	आंध्र प्रदेश	डी-11, टेलीकॉम ऑफिसर कॉम्प्लेक्स टिक्केल रोड, मोगलराजपुरम, विजयवाड़ा- 520010(आंध्र प्रदेश)	हैदराबाद को छोड़कर आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
4.	असम	गुवाहाटी(361) पांचवा तल, सीजीएमटी का कार्यालय, बीएसएनल, असम, खान बाजार, गुवाहाटी	असम	असम
5.	बेंगलुरु	द्वितीय तल, एमिनिटी ब्लॉक, पैसेलस रोड, बेंगलुरु560001 बेंगलुरु	बेंगलुरु	बेंगलुरु
6.	बिहार	सातवां तल, टेलीफोन भवन आर ब्लॉक, पटना-800001	बिहार	बिहार
7.	चेन्नै	तृतीय तल, केलीज टैलीफ़ोन एक्सचेंज, 22 केलीजरोड, चेन्नै-1	चेन्नै मेट्रो एंड पांडिचेरी	चेन्नै
8.	छत्तीसगढ़	कमरा सं० 108 डोर संचार भवन, जी ई रोड, रायपुर-492001	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
9.	दिल्ली	5/6वां तल, एमटीएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद गुडगांव सहित दिल्ली	दिल्ली
10.	गुजरात	प्रथम तल, सी एंड टी प्रशासनिक बिल्डिंग, खानपुर, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद को छोड़कर गुजरात	गुजरात
11.	हरियाणा	कमरा सं० 302, तीसरा तल सीजीएमटी, बीएसएनएल हरियाणा ऑफिस बिल्डिंग, 101 दी मॉल, अंबाला-138001	हरियाणा	हरियाणा
12.	हिमाचल प्रदेश	हरि निवास, खालिनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171002	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
13.	हैदराबाद	104, टीईसी कॉम्प्लैक्स चेरलापल्ली, हैदराबाद-51	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश

14.	जयपुर	टीई बिल्डिंग, सेक्टर-5 विधाधन नगर, सीकर रोड, जयपुर-23	जयपुर	राजस्थान
15.	जम्मू और कश्मीर	4वां तल, टेकनकल बलॉक, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, त्रिकट नगर, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर
16.	झारखंड	कमरा सं० बी-202 एआरटीटीसी, बीएसएनएल जूमर नदी के पास हजीराबाग रोड, रांची-835217	झारखंड	झारखंड
17.	कर्नाटक	द्वितीय तल, एमिनिटी ब्लॉक पैजेस रोड, बेंगलुरु-560001	बेंगलुरु को छोड़कर कर्नाटक	कर्नाटक
18.	केरल	डीडीजी (वीटीएम) का कार्यालय केरल, दूरसंचार विभाग, फायर स्टेशन के पास, गांधी नगर, एर्नाकुलम-682020	केरल और लक्षद्वीप	केरल
19.	कोलकाता	चौथा तल, डस चौरंगी प्लेस, कोलकाता 700013	कोलकाता मेट्रो	कोलकाता
20.	लखनऊ	5/464-465, विरम खंड-5, गोमती नगर, लखनऊ	लखनऊ	उ०प्र० (पूर्व)

21.	मध्य प्रदेश	दूरदर्शन भवन, कमरा सं० 222 II तल, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462015	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
22.	महाराष्ट्र	प्रथम तल खामला टेलीफोन एक्सचेंज, खामला नगर-440025	पुणे और मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
23.	मुंबई	चौथा तल, वरसोवा टेली एक्सचेंज बिल्डिंग, एसवी रोड एमएचएडीए, एसवीपी नगर, अंधेरी(पश्चिम), मुंबई-400053	मुंबई मैट्रो	महाराष्ट्र
24.	पूर्वोत्तर-I	तृतीय तल, सीटीओ बिल्डिंग, शिलांग-793001	पूर्वोत्तर-I	
25.	पूर्वोत्तर-II	ओसीबी के पीछे- टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, दीमापुर-797112	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	उत्तर पूर्व-II
26.	उड़ीसा	7वां तल, आईडीसीओ टॉवर, भुवनेश्वर 22, उड़ीसा	उड़ीसा	उड़ीसा
27.	पुणे	281/बी, द्वितीय तल, टेक्नीकल विंग टेलीफोन भवन, वाजीराव रोड, पुणे-411002	पुणे	महाराष्ट्र
28.	पंजाब	प्रथम तल, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, सेक्टर-70, मोहाली, चंडीगढ़-160071	चंडीगढ़ सहित पंजाब	पंजाब
29.	राजस्थान	टीई बिल्डिंग, सेक्टर-5 विधाधन नगर, सीकर रोड, जयपुर-23	जयपुर को छोड़ कर राजस्थान	राजस्थान
30.	तमिलनाडु	5वां तल, एलआईसी बिल्डिंग, सं० 1544, त्रिची रोड, कोयंबटूर-641018	चेन्नै और पांडिचेरी को छोड़कर तमिलनाडु	तमिलनाडु
31.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5/464-465, विरमखंड-5, गोमती नगर, लखनऊ	लखनऊ को छोड़कर उ०प्र० (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
32.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	प्रथम तल ब्रह्मपुरी टेलीफोन एक्सचेंज मेरठ(उ०प्र०)-250002	उत्तरांचल को छोड़कर उ०प्र० (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
33.	उत्तराखंड	प्रथम तल, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, 197 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड	उत्तराखंड	उत्तराखंड
34.	पश्चिम बंगाल	82, बुल्लीगंज प्लेस, द्वितीय तल कनवर्जनस हॉल, कोलकाता-700019	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल